



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 15500 रुपए अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कुल 15500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-223/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र गयाप्रसाद निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा को 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-101/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र चतुरिया निवासी ग्राम झंझिरीपुरवा थाना जसपुरा जनपद बांदा को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना चिल्ला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-569/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र बिन्दा प्रसाद निवासी चटसरा थाना गिरवां जनपद बांदा को 03 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।